संख्या-150/2018/1094/26-3-2018-50(एस.एन.डी.)/03

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 27 जून 2018

विषय:- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहित करने एवं उन्हे यूनिफॉर्म एवं 01-01 साईकिल की सुविधा हेतु निर्धारित दर के पुनरीक्षित की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्र संख्या-337/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-03.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु यूनिफार्म एवं साईकिल अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा-6 एवं उससे उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को लेडीज साईकिल एवं यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-864/26-3-2014-50(एस.एन.डी.)/2003,दिनांक-09.10.2014 द्वारा निर्धारित दरों को सम्यक् विचारोपरांत राज्यपाल महोदय तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

योजना का नाम	पूर्व में निर्धारित दरें	प्रस्तावित दरें
1	2	3
साईकिल	रू0-3000/-	रू0-3300/-
यूनीफार्म	रू0-500/-	रू0-700/-
कुल योग-	रू0-3500	रू0-4000/-

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-यू0ओ0/337/26-ब0प्र0-2004-50 (एस0एन0डी0)/03, दिनांक 30 जून, 2004, शासनादेश संख्या-660/26-ब0प्र0- 2009-50(एस0एन0डी0)/2003, दिनांक 27.11.2009 एवं शासनादेश संख्या-864/ 26-3-2014-50(एस.एन.डी.)/2003, दिनांक-09.10.2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश यथावत् रहेगें।

3- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं (कक्षा 11 व 12) जिन्हें शिक्षा विभाग की सावित्री बाईफूले बालिका शिक्षा मदद योजना से आच्छादित किया जा सकता हो, उन्हें समाज कल्याण विभाग से लाभान्वित न किया जाय। उक्त योजनाओं में लाभार्थी छात्राओं का आच्छादन सावधानीपूर्वक किया जाय, जिससे किसी भी छात्रा को इस योजना एवं सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, दोनों योजनाओं से साईकिल के दोहरी सुविधा मिलने की सम्भावना समाप्त हो जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-130/दस-2018, दिनांक-25 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-150 /2018/1094 (1)/26-3-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।